राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तरांचल,
(पंचायत एवं स्थानीय निकाय)
उत्तरांचल
संख्या-480/रा0नि0आ0अनु0-2/137/2002
देहरादून: दिनांक 13 अगस्त, 2002

निर्देश

उत्तरांचल की त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन/उप निर्वाचनों में ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचातय सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख, जिला पंचायत, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा ग्राम पंचायत उप प्रधान के निर्वाचन/उप निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्याशियों से जमा करायी जाने वाली जमानत की धनराशि को वापसी के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल के पूर्व में जारी समस्त आदेशों/निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए मैं, दुर्गेश जोशी, राज्य निर्वाचन आयुक्त (पंचायत एवं स्थानीय निकाय), उत्तरांचल, यह आदेश देता हूँ कि राज्य के उक्त पदों के निर्वाचन/उप निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्याशियों के द्वारा जमा करायी जाने वाली जमानत की धनराशि की वापसी के संबंध में निम्नलिखित आदेश प्रभावी होगें:-

1- निर्वाचन लड़ने वाले किसी भी प्रत्याशी की जमानत की धनराशि तब तक वापिस नहीं की जायेगी जब तक उसने आयोग द्वारा इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार संबंधित निर्वाचन में अपने द्वारा किये गये व्यय का विवरण-पत्र निर्वाचन परिणाम घोषणा की तिथि के तीन माह के अन्दर दाखिल न कर दिया हो।

2- उस प्रत्याशी की जमानत की धनराशि वापस नहीं की जायेगी, जिसने मतदान में पड़े कुल वैध मतों के 1/5 अंश से कम मत प्राप्त किये हों किन्तु निर्वाचित घोषित हुए प्रत्याशी पर कुल वैध मतों के 1/5 अंश से कम मत प्राप्त करने का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। यदि कोई प्रत्याशी एक से अधिक पदों पर चुनाव लड़ता है और वह उन सभी या कुछ पदों पर निर्वाचित घोषित होता है अथवा इन सभी पदों के चुनाव में अथवा इनमें से कुछ पदों के चुनाव में अलग-अलग उसे कुल पड़े वैध मतों के 1/5 अंश या उससे अधिक मत प्राप्त होते हैं, उस दशा में एक ही जमानत की जमा धनराशि वापस की जायेगी और अन्य जमा जमानत धनराशि/धनराशियाँ समपहृत हो जायेगी।

3- यदि कोई प्रत्याशी नामांकन पत्र खरीदने व जमानत धनराशि जमा करने के पश्चात् नामांकन पत्र ही दाखिल नहीं करता है अथवा नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद समय सीमा के अन्तर्गत अपना नाम वापस ले लेता है अथवा उसका नामांकन पत्र निरस्त हो जाता है अथवा अन्य किन्हीं कारणों से उसका नाम चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूची में नहीं आता है तो इन सभी दशाओं में प्रत्याशी द्वारा जमा की गयी जमानत की धनराशि उसे वापस कर दी जायेगी।

--2/-

4- यदि कोई प्रत्याशी सामान्य निर्वाचन/उप निर्वाचन एक ही पद के लिए निर्धारित जमानत धनराशि एक से अधिक बार जमा कर देता है और वह निर्वाचित घोषित हो जाता है अथवा वह उस पद के लिए पड़े कुल वैध मतों के 1/5 अंश या उससे अधिक मत प्राप्त कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा की गयी सभी जमानतों की धनराशि उसे वापस कर दी जायेगी, किन्तु ऐसे प्रत्याशी के चुनाव में पराजित होने और मतदान में पड़े कुल वैध मतों के 1/5 अंश से कम मत प्राप्त करने पर उसके द्वारा जमा की गयी ऐसी समस्त धनराशियों में से केवल एक जमानत जब्त हो जायेगी और उस पद हेतु उसके द्वारा जमा की गयी अन्य जमानत धनराशियॉ उसे वापस कर दी जायेंगी।

5- यदि मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व किसी प्रत्याशी की मृत्यु हो जाती है तो उसके विधिक उत्तराधिकारी को जमानत की धनराशि वापस कर दी जायेगी। यही प्रक्रिया उस समय भी लागू होगी जब मतगणना के पश्चात वह निर्वाचित घोषित हो जाता है अथवा उसे वैध मतों का 1/5 अंश या उससे अधिक मत प्राप्त हुए हों और उसकी मृत्यु हो जाती है।

6- यदि आरक्षित वर्ग के किसी प्रत्याशी द्वारा अनारक्षित वर्ग के प्रत्याशी के लिए निर्धारित धनराशि के बराबर जमानत की धनराशि जमा कर दी गयी है तो आरक्षित वर्ग के प्रत्याशी हेतु निर्धारित जमानत की धनराशि से जितनी अधिक धनराशि जमा की गयी है वह उसे वापस कर दी जायेगी किन्तु यदि आरक्षित वर्ग के प्रत्याशी द्वारा अनारक्षित पद के विरूद्ध अपने को अनारक्षित वर्ग का प्रत्याशी कहते हुए/मानते हुए अनारक्षित पद हेतु निर्धारित नाम निर्देशन पत्र भरा जाता है और अनारक्षित पद के लिए निर्धारित जमानत की धनराशि जमा की जाती है तो उस दशा में कुल वैध मतों का 1/5 अंश से कम मत पाने पर उसके द्वारा जमा की गयी समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

7- जमानत धनराशि की वापसी वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 के भाग-1 के प्रस्तर-346 के अन्तर्गत होगी।

8- जिला पंचायत के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, क्षेत्र पंचायतों के प्रमुखों, ज्येष्ठ उप प्रमुखों तथा कनिष्ठ उप प्रमुखों के निर्वाचन में प्रतिभूति (जमानत) की धनराशि की वापसी यथास्थिति उ0 प्र0 जिला पंचायत (अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 या उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत (प्रमुख तथा उप प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 में की गयी व्यवस्था के अनुसार ही की जायेगी।

समस्त जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) उत्तरांचल को निर्देशित किया जाता है कि वे कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

ह0.

(दुर्गेश जोशी)

राज्य निर्वाचन आयुक्त।

--3/-

संख्या-480(1)/रा0नि0आ0अनु0-2/137/2002 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) उत्तरांचल।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तरांचल।
3- मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर/निजी सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
4- प्रमुख सचिव, वन एवं ग्राम्य विकास, पंचायती राज विभाग,उत्तरांचल शासन, देहरादून।
5- सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
6- समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) उत्तरांचल।
7- निदेशक, पंचायती राज, उत्तरांचल, देहरादून।
8- समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तरांचल।
9- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
10- समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तरांचल।
11- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तरांचल को इस आशय से प्रेषित की वह कृपया इसे सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की व्यवस्था करने एवं आकाशवाणी तथा दूरदर्शन केन्दों से प्रसारण हेतु व्यवस्था कराने का कष्ट करें।
12- आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
13- गार्ड फाईल अनुभाग-2

ह0.

(दुर्गेश जोशी)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।